1697/ST04
04/06/18

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश कमांक 1/2–2015 प्रशा0 (1) दिनांक, पंचकूला : 24.05.2018 29

प्रायः देखने में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाईट/बाईट/गैटी, उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी बिना अनुमति लिए उच्च अधिकारियों के पास आवश्यक कार्य हेतु मिलने आते हैं जिससे उच्च अधिकारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य डाईट/बाईट/गैटी, उप जिला शिक्षा अधिकारियों तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा/मौलिक शिक्षा की अनुमति के बिना निदेशालय में नहीं आएंगे। यदि आवश्यक कार्य के लिए निदेशालय में आना हो तो वे निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा/मौलिक शिक्षा से निम्नांकित ई–मेल के माध्यम से अनुमति लेकर ही निदेशालय में आएंगे:–

1. निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा : psdse.pkl@gmail.com (0172-2560246, 2560253)
2. निदेशक मौलिक शिक्षा : padgeepkl@gmail.com (0172-2560188)

राजीव रतन
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन कमांक–सम– दिनांक, पंचकूला 01/06/2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. पी0एस0/ए0सी0एस0एस0ई0।
2. पी0एस0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. पी0ए0/निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।
5. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक (अकैडमिक)
6. पी0ए0/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
7. सभी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
8. सभी प्राचार्य डाईट/बाईट/गैटी, उप जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी।
9. निदेशालय के सभी अधिकारी/शाखाध्यक्ष।
10. अधीक्षक प्रशासन (मौलिक शिक्षा)।
11. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)। (For the purpose of uploading)

रजिस्ट्रार शिक्षा
का0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला